भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

26.06.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 810 का उत्तर

यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा

810. श्री राहुल रमेश शेवले:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में कुछ कमियों की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न चरमपंथी समूहों और अन्य संगठनों द्वारा रेलवे की महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

mm

यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में दिनांक 26.06.2019 को लोक सभा में श्री राहुल रमेश शेवले एवं श्री भर्तृहरि महताब के अतारांकित प्रश्न सं. 810 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा तथा उससे संबंधित मामलों की जिम्मेदारी रेल सुरक्षा बल(रेसुब) को सौंपी गई है।

इस बल के बेहतर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से समय-समय पर दिशानिर्देश, आदेश और परिपत्र जारी किए जाते हैं।

दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी कार्यान्वयन में कोई खामी पाई जाती है, तत्काल निवारक उपाय किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है, इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना और रेलपथों, सुरंगों और पुलों की सुरक्षा, राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु) के जरिए करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) यात्रियों और यात्री क्षेत्र की बेहतर रक्षा और सुरक्षा तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

रेलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए सभी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में संबंधित राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक / आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है। अपराध की संभावना वाली गाड़ियों, स्टेशनों और खंडों की पहचान करने और राजकीय रेलवे पुलिस के साथ समन्वय करके इन गाड़ियों/ स्टेशनों और खंडों में यात्रियों के साथ अपराध का

mm

पता लगाने के लिए अपराध तथा अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि का नियमित विश्लेषण किया जाता है।

रेलों द्वारा सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और अपग्रेडेशन की प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। रेलवे स्टेशनों पर समग्र सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सुरक्षा उपाय किए जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण, प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की सहायता से निगरानी, सुरक्षा हैल्पलाइन नंबर 182 का परिचालन और अपग्रेडेशन आदि, संवेदनशील खंडों में गाड़ियों का मार्गरक्षण, महिला सवारी डिब्बों में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, रेलवे स्टेशन और गाड़ियों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान शामिल हैं।

******

mm